



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं०-8बी/यू.पी./06/221/2021/एफ.सी. /536

दिनांक: 26.09.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनैज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 954/11-सी-FP/UP/Road/121197/2021, दिनांक 12.09.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण को दिनांक 15.09.2022 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 70.1-UP) शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार कतिपय बिन्दुओं पर प्रेक्षाओं के कारण प्रकरण को deferred कर दिया गया है। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं/जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण को आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके:-

1. In lieu of 222.98 ha forest land proposed to be diverted, 223.00 ha non-forest land has been provided out of this, only 41.36 ha NFL is suitable for compensatory afforestation. Thus, the non-forest land needs to be rechecked and non-forest land suitable for plantation and adjoining to forest blocks needs to be provided. If NFL is not available then to compensate, plantation in double the area in degraded forest land needs to be proposed.
2. Since huge tree felling is involved thus to compensate this, plantation along road side needs to be taken up (either along the same road or along adjoining some other road).

भवदीया,

(डॉ०प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ) वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड(बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ०प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)